



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 30-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 28, 2020 (SRAVANA 6, 1942 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2020

संख्या 32/REG-253/Vol-IV.— विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में दिनांक 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10) की धारा 56 (vi) में निहित प्रावधानों के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि 01.03.1990 से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की अधिसूचना संख्या 55/आरईजी-96 दिनांक 01.03.1990 के तहत जारी चिकित्सा सेवा के संबंध में निम्नलिखित भर्ती तथा पदोन्नति नीति अधिसूचित करते हैं:—

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-79 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड चिकित्सा सेवा के संबंध में निम्नलिखित भर्ती तथा पदोन्नति नीति बनाता है:—

1.0 मुख्य चिकित्सा अधिकारी:

पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से ज्येष्ठता एवं गुण के आधार पर और इस रूप में कम से कम 4 वर्ष की सेवा रखने वालों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

2.0 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी:

पद वरिष्ठता चिकित्सा अधिकारियों में से ज्येष्ठता एवं गुण के आधार पर इस रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों में से भरा जाएगा।

3.0 चिकित्सा अधिकारी:

पद निम्नलिखित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:

(ए) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस (चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्नातक) या समकक्ष उपाधि।

(बी) हरियाणा राज्य चिकित्सा परिषद या भारत में किसी अन्य चिकित्सा परिषद के पास चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत रहा हो।

3.2 पद हरियाणा राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार या हरियाणा राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम की सेवा में ओर उपर्युक्त अर्हताएं रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों में से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भरे जा सकते हैं।

4.0 भैषजिक (फार्मासिस्ट):

पद निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:-

- (ए) हरियाणा शिक्षा बोर्ड या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान सहित मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा।
- (बी) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से औषध निर्माण में उपाधि पत्र (डिप्लोमा) रखता हो।
- (सी) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

टिप्पणी : उच्चतर अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा।

5.0 प्रयोगशाला तकनीकविद:

पद निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:-

- (ए) हरियाणा शिक्षा बोर्ड या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान सहित मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा।
- (बी) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या चिकित्सा प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक।
- (सी) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

6.0 सफाई निरीक्षक:

पद निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:-

- (ए) हरियाणा शिक्षा बोर्ड या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा।
- (बी) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) का प्रमाण पत्र।

7.0 स्टाफ नर्स (परिचारिका):

पद निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा:-

- (ए) हरियाणा शिक्षा बोर्ड या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से हिन्दी सहित मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा।
- (बी) 'ए' ग्रेड परिचारिका (नर्स) प्रमाण-पत्र रखता हो और हरियाणा उपचारिका (नर्सिस) पंजीकरण परिषद के पास पंजीकृत हो।

8.0 आरक्षण:

इन विनियमों की कोई भी बात, सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अंगीकृत किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों/भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, जहां कहीं भी लागू हो, तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

ये संशोधन 01.03.1990 अर्थात् कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे।

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 मई, 2020.

टी. सी. गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**POWER DEPARTMENT****Notification**

The 11th May, 2020

No. 32/REG-253/Vol-IV.— In compliance with provisions contained in section 79(c) of Electricity Supply Act, 1948 as applicable w.e.f 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 (vi) of Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998), the Governor of Haryana is pleased to notify the following Recruitment and promotion policy in respect of Medical Services issued by erstwhile HSEB vide Notification No. 55/REG-96 dated 01.03.1990 w.e.f. date of office order i.e. 01.03.1990:-

In exercise of the powers conferred under Clause (c) of Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948 and all other enabling powers in this behalf, the Haryana State Electricity Board is pleased to make the following Recruitment and promotion policy in respect of Medical Service:-

1.0 CHIEF MEDICAL OFFICER

The post shall be filled-up by promotion from amongst Sr. Medical Officer on seniority-cum-merit basis and having rendered at least 4 years service as such.

2.0 SENIOR MEDICAL OFFICER:

The post shall be filled-up by promotion from amongst Medical Officers on seniority-cum-merit basis, and having rendered at least 8 years service as such.

3.0 MEDICAL OFFICER:

The post shall filled-up by direct recruitment from persons, having the following qualifications and experience:-

- (a) MBBS or an equivalent degree from any University recognised by the Medical Council of India.
- (b) Having been registered as Medical Practitioner with Haryana State Medical Council or any other Medical Council in India.

3.2 The post may also be filled-up by transfer/deputation of Medical Officers in service of the State Govt. or an undertaking of State Govt./Central Govt. and having the above said qualification.**4.0 PHARMACIST**

The post shall be filled-up by direct recruitment from amongst persons, having the following qualification and experience:-

- (a) Matriculation or equivalent examination with science from Haryana Education Board or any other Education Board or University recognised by the State Government of Haryana.
- (b) Having a Diploma in Pharmacy from an Institution recognised by the State Government of Haryana.
- (c) Hindi upto Matric standard.

Note: - The persons having higher qualifications and experience will be preferred.

5.0 LABORATORY TECHNICIAN

The post shall be filled-up by direct recruitment from persons having the following qualifications and experience:-

- (a) Matriculation or equivalent examination with science from Haryana Education Board or any other Education Board or University recognised by the State Government of Haryana.
- (b) Diploma in Medical Laboratory technology or B.Sc. in Medical Technology from any Institution recognised by the State Government of Haryana.
- (c) Hindi upto Matric standard.

6.0 SANITARY INSPECTOR

The post shall be filled-up by direct recruitment from persons having following qualifications and experience:-

- (a) Matriculation or equivalent examination with Hindi from Haryana Education Board or any other Education Board or University recognised by the State Government of Haryana.

- (b) A Multi Purpose Health worker (Male) Certificate from any Institution recognised by the State Government of Haryana.

7.0 STAFF NURSE:

The post shall be filled-up by direct recruitment from persons having following qualifications and experience:-

- (a) Matriculation or equivalent examination with Hindi from Haryana Education Board or any other Education Board or University recognised by the State Government of Haryana.
- (b) Having 'A' Grade Nurses Certificate and registered with Haryana Nurses Registration Council.

8.0 RESERVATION

Nothing contained in these Regulations shall affects reservation wherever applicable and other concessions required to be provided for scheduled castes/Backward Classes/Ex-Serviceman etc. in accordance with the instructions/orders issued by the Govt. in this regard and adopted by the Board from time to time.

These amendments are deemed to have come into force with effect from 01.03.1990 i.e. actual date of issuance of office order.

Chandigarh:
The 11th May, 2020.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.